



Neutral Citation No. - 2026:AHC:8969

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 19493 सन् 2025

हीरा लाल सोलंकी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

सृष्टि सिंह, योगेश कुमार श्रीवास्तव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्तागण :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री सृष्टि सिंह और विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 24.07.2025 को पारित आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत कुछ जांच रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ 2,05,664 रुपये के मुकाबले कुल देयता का 1/3 यानी 68,554 रुपये की वसूली का निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि प्रत्यर्थी ने राज्य चुनाव आयुक्त के निर्देशों पर एक आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा आम चुनाव में किए गए ईंधन शुल्क के कथित गैर-भुगतान के संबंध में जांच की कार्यवाही की, लेकिन याचिकाकर्ता को उसमें दिए गए निष्कर्षों का जवाब देने के लिए ऐसी कोई जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई, और यह उन आरोपों के संबंध में प्रकरण का बचाव करने के लिए सुनवाई का उचित अवसर से वंचित करने के समान है जिनके लिए जांच की गई थी।

4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह ने इस प्रकरण में निर्देश प्राप्त किए हैं, जिन्हें अभिलेख में ले लिया गया है। निर्देशों से यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता को जांच में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद, उन्हें न तो जांच रिपोर्ट की प्रति दी गई और न ही जांच रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों के संबंध में कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

5. उपरोक्त के मददेनजर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया और प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।

6. प्रकरण के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि दिनांक 24.07.2025 का आदेश स्पष्ट रूप से अस्थिर है। इसलिए, प्रकरण को संबंधित प्राधिकारी को पुनः भेजा जाना चाहिए ताकि वह जांच रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों के विरुद्ध याचिकाकर्ता का उत्तर प्राप्त करने के बाद पुनर्विचार कर सके। चूंकि निर्देशों में जांच रिपोर्ट की एक प्रति शामिल है, इसलिए निर्देशों की एक प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को न्यायालय में ही उपलब्ध कराई गई है। याचिकाकर्ता अब दिनांक 11.07.2025 की जांच रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्षों के अनुरूप अपना उत्तर आज से चार सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जो तब याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगा और याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद, यदि वह निर्धारित तिथि पर उपस्थित होता है, या यदि याचिकाकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के एक महीने के भीतर याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार करते हुए आदेश पारित करेगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाने वाला आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तर्कसंगत और स्पष्ट होना चाहिए, और स्पष्ट आदेश पारित करते समय, अवकाश नकदीकरण के मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए।

7. इन परिस्थितियों में, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 24.07.2025 को पारित आदेश को एतद्वारा रद्द किया जाता है।

8. अतः, यह याचिका उपरोक्त शर्तों के अनुसार स्वीकार की जाती है।

14 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)